[2008] 1 S.C.R. 206

वी शिवा कुमार एवं अन्य

बनाम

रक्षा मंत्रालय एवं अन्य (सी.ए. नं. 2945, 2001)

8 जनवरी 2008

(न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत एवं पी. सदाशिवम)

सेवा विधि: *नौसेना ग्रेड-सी गैर-औद्योगिक पद, स्टोर हाउस स्टाफ, भर्ती नियम, 1984- वरिष्ठता - कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7.2.1986- पैरा 7- उन रिक्तियों के संबंध में वरिष्ठता प्रदान करना जिनके लिए "भर्ती कार्यवाही" ओ.एम. जारी होने की तारीख पर पहले ही की जा चुकी है, "ओ.एम. का, ओ.एम. जारी करने से पहले लागू सिद्धांतों द्वारा शासित होना चाहिए: 'भर्ती कार्यवाही' का तात्पर्य भर्ती के लिए की गई कार्यवाही है - ओ.एम. जारी करने से पहले पैनल में शामिल उम्मीदवारों की वरिष्ठता दिनांक 7.2.1986 को उक्त कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तिथि पर विद्यमान मानदंडों द्वारा शासित होगी।*

शब्द और वाक्यांश: 'भर्ती क्रिया' - का भावार्थ

अपीलकर्ता और प्रोफार्मा उत्तरदाता 45-55, दिनांक 8.7.1983 के एक विज्ञापन के अनुसार, वर्ष 1984 में नौसेना ग्रेड-सी गैर-औद्योगिक पदों, स्टोर हाउस स्टाफ भर्ती नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती कोटा में स्टोर कीपर के रूप में चयनित हुए थे। बाद में, पूर्व अेा.एम. दिनांक 22.12.1959 के सिद्धांतो के अधिक्रमण में, ओ.एम. दिनांक 7.2.1986 वरिष्ठता का नया सिद्धांत निर्धारित करते हुए जारी किया गया। ततपश्चात, प्रमोशनल कोटे में 99 अभ्यर्थियों का प्रमोशन के लिए चयन किया गया। अपीलकर्ता और उत्तरदाता संख्या 44-55, जो सभी सीधी भर्ती से थे और वर्ष 1984 में चयनित हुए थे, को 1.12.1986 को नियुक्ति दी गई। वरिष्ठता सूची में उन्हें प्रमोशनल कोटे से नियुक्त अभ्यर्थियों से नीचे दर्शाया गया था। अपीलार्थीगण और उत्तरदाताओं 44-55 ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष वर्ष 1992 में ओ.ए. नंबर 673 संस्थित किया। O.A स्वीकार हुआ; चूंकि निर्णय को आगे चुनौती नहीं दी गई, अतः वह अंतिम हो गया। एक अन्य मामले में, अधिकरण की पूर्ण पीठ ने कुछ बिन्दुअेा ं को विनिश्चित किया। कथित तौर पर 1992 के O.A.673 के निर्णय के अनुरूप दिनांक 27.12.1996 को एक संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की गई। इसे अधिकरण के समक्ष पुनः चुनौती दी गई, जिसमें निर्धारित हुआ कि अधिकरण की पूर्ण पीठ ने दिनांक 1.3.1986 से पूर्व चयनित और पैनलबद्ध परन्तु उक्त तिथि के बाद नियुक्त कर्मचारी की वरिष्ठता एवं ओ.एम. दिनांक 7.2.1986 के भविष्यलक्षी होने के प्रश्न पर

स्वयं को संबोधित नहीं किया था। इससे अपीलार्थीगण की वरिष्ठता में उलटफेर हो गया। उन्होंने एक रिट याचिका संस्थित की जिसे उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिकरण की पूर्ण पीठ का निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू होता है।

सीधी भर्ती के चयनितो द्वारा संस्थित इस अपील में, यह तर्क दिया गया कि चूंकि 1992 के O.A.673 में निर्णय अंतिम हो गया था, अतः इसे अधिकरण की किसी खण्ड पीठ द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता तथा ओ.एम. दिनांक 7.2.1986 के पैरा 7 काे उसके वास्तविक अर्थ में सही रूप से लागू नहीं किया गया, क्योकिं आे.एम. में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति 'भर्ती कार्यवाही' थी तथा 'भर्ती' शब्द 'नियुक्ति' शब्द के समान नहीं हो सकता।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

1.1. अधिकरण की पूर्ण पीठ के समक्ष पैरा 7 का प्रथम भाग विचाराधीन था और "भर्ती कार्यवाही" अभिव्यक्ति का प्रभाव विवाद्य नहीं था। पैरा 7 का प्रासंगिक भाग उन रिक्तियों को संदर्भित करता है जिनके लिए भर्ती कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। यहां दो पहलू महत्वपूर्ण हैं; (1) रिक्ति होनी चाहिए; और (2) भर्ती कार्यवाही पहले ही की जा चुकी हो। अन्यथा, "जिसके लिए भर्ती की कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है" अभिव्यक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि

नियुक्ति सुसंगत तिथि से प्रभावी होती है। [पैरा 9-10] [211-एच, 212-ए, बी]

1.2 "भर्ती कार्यवाही" का अर्थ स्पष्टतः भर्ती हेतु की गई कार्यवाही से है। अतः अधिकरण के इस निर्णय को पुष्ट करने वाला उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय कि 1.3.1986 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता दिनांक 7.2.1986, ओ.एम. द्वारा शासित होगी, भले ही उन्हें 1.3.1986 से पहले सूचीबद्ध और चयनित किया गया हो, स्पष्टतः अपोषणीय है एवं अपास्त किया जाता है। [पैरा 1 तथा 13] [212-एफ] [208 एफ-जी]

के. नारायणन बनाम कर्नाटक राज्य **[1994] पूरक। 1 एससीसी 44-निर्भर किया।**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2945/2001

डब्लू.पी. संख्या 5540/1999 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 3.3.2000 के विरूद्ध

आर. वेंकटरमणि, सी.के. सुचरिता अपीलार्थीगण, की ओर से।

आर. मोहन ए.एस.जी., वाई. प्रभाकर राव, आशा जी. नायर, बी.के.. प्रसाद और डी.एस. मेहरा, उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्याायमूर्ति **डॉ. अरिजीत पसायत जे.** द्वारा दिया गया।

1. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के निर्णय चुनौती को दी गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण की अेार से संस्थित रिट याचिका खारिज कर दी गयी। उच्च न्यायालय के समक्ष केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, हैदराबाद (संक्षेप में 'अधिकरण') के आदेश को चुनौती दी गयी थी। अपने आदेश दिनांक 18.2.1999 द्वारा अधिकरण ने निर्देश दिया था कि स्टोर कीपरों की वरिष्ठता सूची इस सिद्धांत पर तैयार की जानी थी कि: (1) ओएम दिनांक 7.2.1986 की प्रकृति भविष्यलक्षी है, भूतलक्षी नहीं; (2) 1.3.1986 के बाद भर्ती किये गये कर्मचारी भले ही उन्हें 1.3.1986 से पहले सूचीबद्ध व चयनित किया गया था, उनकी वरिष्ठता उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार होगीक्योंकि उन्हें 1.3.1986 के बाद सेवा में नियुक्त किया गया था तथा विवादित वरिष्ठता सूची में इन सिद्धांतों के अनुरूप पारिणामिक लाभों के साथ संशोधन किया जाना था।

2. प्रकरण की पृष्ठभूमि संक्षेप में इस प्रकार है:

8.7.1983 को विशाखापत्तनम डॉकयार्ड के सामग्री संगठन में स्टोर कीपर, क्लास-III के लिए सीधी भर्ती कोटा (संक्षेप में 'डीआर') में भर्ती के लिए नोटिस जारी किया गया था। 1982-83 में, अपीलार्थीगण, प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 45 से 55 ने इस अधिसूचना के जवाब में आवेदन किया था। इन सभी का चयन वर्ष 1984 में नौसेना ग्रेड-सी गैर-औद्योगिक पद, स्टोर हाउस स्टाफ, भर्ती नियम, 1984 (संक्षेप में 'भर्ती नियम) के अनुसार किया गया था, 87.5% पद पदोन्नति द्वारा और 12.5% सीधी भर्ती द्वारा

भरे जाने थे। प्रत्येक आठ रिक्तियों में से, पहली सात रिक्तियां पदोन्नतों काे तथा अंतिम एक रिक्ति डीआर को चक्रानुक्रम द्वारा दी जाती है।

7.2.1986 को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.12.1959 को अधिक्रमित करते हुए वरिष्ठता का नया सिद्धांत निर्धारित किया गया। उसके पैरा 7 के अनुसार दिनांक 22.12.1959 के ओएम में निहित पुराने सिद्धांतों को 7.2.1986 के बाद की गई किसी भी नियुक्ति के लिए लागू नहीं माना गया, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया 7.2.1986 से पहले शुरू हुई थी। पदोन्नति कोटे में 99 अभ्यर्थियों का पदोन्नति के लिए चयन किया गया। अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी संख्या 45-55 जो सीधी भर्ती से थे, उन्हें 1.12.1986 को स्टोर कीपर के रूप में नियुक्त किया गया था। 4.12.1989 को अन्तर वरिष्ठता सूची तैयार की गई जिसमें अपीलार्थीगण को क्रमांक 4 से 44 पर दर्शाया गया। सूची को वितरण, सत्यापन और विसंगति इंगित करने, यदि कोई हो, एवं सुधार के लिए सभी नौसैनिक प्रतिष्ठानों को भेजा गया था।

21.10.1991 को एक और वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें अपीलकर्ता और प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 45 से 55 को प्रतिवादी संख्या 4-44 से नीचे दिखाया गया और उन्हें लगभग 240 स्थान नीचे धकेल दिया गया।

दिनांक 21.11.1991 को अपीलार्थियों द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गईं। 12.3.1992 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें अपीलार्थीगण और उत्तरदाताओं को 45 से 55 नीचे दिखाया गया।

25.4.1995 को वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए अपीलार्थीगण और उत्तरदाताओं 45 से 55 द्वारा अधिकरण के समक्ष 1992 में ओ.ए. क्रमांक 673 संस्थित किया गया। इसे स्वीकार किया गया परन्तु निर्णय को किसी ने चुनौती नहीं दी और यह अंतिम हो गया।

21.11.1996 को, उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित अन्य ओ.ए. में अधिकरण की पूर्ण पीठ ने कुछ बिन्दुओं पर निर्णय दिया। अपीलार्थीगण का पक्ष यह था कि ओएम के पैरा 7 में दर्शाए गए पैरामीटर पूर्ण पीठ के समक्ष विवाद्य नहीं थे।

27.12.1996 को संशोधित वरिष्ठता सूची कथित तौर पर 1992 के ओए संख्या 673 के निर्णय के अनुरूप जारी की गई। 12.3.1997 को अपीलकर्ता संख्या 1, 4 और 7 को संशोधित वरिष्ठता सूची के आधार पर स्टोर कीपर के रूप में नियुक्त किया गया। 13.2.1997 को अधिकरण की खण्ड पीठ ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग से संबंधित 1993 के OA नंबर 1323 को सवीकार किया। 3.7.1997 को, 1997 का ओए नंबर 843 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के समक्ष संस्थित किया गया जिसमें संशोधित वरिष्ठता सूची दिनांक 27.12.1996 और पदोन्नति आदेश

दिनांक 12.3.1997 को चुनौती दी गई। फरवरी, 1998 में अपीलकर्ता संख्या 2,3,6,8 और 9 को संशोधित वरिष्ठता सूची दिनांक 27.12.1996 के आधार पर स्टोर कीपर के रूप में पदोन्नत किया गया।

3. अधिकरण की एक खण्ड पीठ ने ओ.ए. क्रमांक 843/1997 में आदेश दिनांक 18.2.1999 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्ण पीठ ने आर.ए. संख्या 103/1993 की सुनवाई करते समय ओए नंबर 1019/ 1992 में, 7.2.1986 से पहले चयनित और 7.2.1986 के बाद नियुक्त व्यक्तियों के प्रश्न को संबोधित नहीं किय। हालाँकि, 1992 के ओए नंबर 673 में एक अन्य खण्ड पीठ के निर्णय के आधार पर यह माना गया कि दिनांक 7.2.1986 का ओएम भविष्यलक्षी है जिसने अपीलार्थीगण की वरिष्ठता को बिगाड़ दिया। 17.3.1999 को अपीलार्थीगण ने 1997 के ओए संख्या 843 में अधिकरण के उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 5540/1999 संस्थित की। आदेश दिनांक 3.3.2000 द्वारा रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अधिकरण की पूर्ण पीठ का निर्णय मामले के तथ्यों को लागू होता है।

4. यह निवेदन किया गया है कि 1997 के ओए नंबर 843 में प्रति-शपथ पत्र में उत्तरदाता ने अपीलार्थीगण के अभिवाक को स्वीकार कर लिया था।

5. अपील के समर्थन में, यह निवेदन किया गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1992 के ओए नंबर 673 में निर्णय अंतिम हो गया है, इसे किसी अन्य खण्ड पीठ द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। दिनांक 7.2.1986 के ओएम के पैरा 7 का वास्तविक प्रभाव सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। अधिकरण की पूर्ण पीठ ने पैरा 7 के पहले भाग पर ही विचार किया और ओएम के दूसरे मुख्य पहलू पर ध्यान नहीं दिया। 1997 के ओए नंबर 843 में निर्णय में एक खण्ड पीठ ने पाया कि पूर्ण पीठ ने इस पहलू पर विचार नहीं किया, अपितु अन्य खण्ड पीठ के निर्णय के आधार पर इस तरह अधिकरण की केरल पीठ के पहले के निर्णय के तर्क को नजरअंदाज कर दिया। 1986 के पैरा 7 के दूसरे भाग पर भी विचार नहीं किया गया। यह भी इंगित किया गया कि उच्च न्यायालय ने ओएम के दूसरे भाग पर ध्यान नहीं दिया, जो वर्तमान विवाद के संबंध में एकमात्र प्रासंगिक भाग है। ओएम के दूसरे भाग को किसी ने चुनौती नहीं दी।

6. यह निवेदन किया गया कि ओएम में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "भर्ती कार्यवाही" है। 'भर्ती' 'नियुक्ति' के समान नहीं है। पैरा 7 सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नत लोग दोनों को संदर्भित करता है।

7. जवाब में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि ओएम सीधी भर्ती, पदोन्नति या स्थानांतरण की विधि द्वारा वास्तविक नियुक्ति को संदर्भित करता है। केवल चयन सूची में शामिल करने से कोई

अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए, अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या तर्कसंगत है। यह भी निवेदन किया गया है कि "भर्ती कार्यवाही" "भर्ती प्रक्रिया" से भिन्न है।

8. ओएम के पैरा 7 का सुसंगत भाग इस प्रकार है:

"ये आदेश 1 मार्च, 1986 से प्रभावी होंगे। इन आदेशों के जारी होने की तिथि पर विद्यमान सिद्धांतों के अनुसार पूर्व से ही निर्धारित वरिष्ठता को पुनः निर्धारित नहीं किया जाएगा। जिन रिक्तियों के लिए भर्ती की कार्यवाही आदेशों के जारी होने की तिथी के पूर्व ही की जा चुकी है, चाहे सीधी भर्ती या पदोन्नति के माध्यम से हो, उनके संबंध में वरिष्ठता इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पहले लागू सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी।"

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क उचित है कि अधिकरण की पूर्ण पीठ के समक्ष पैरा 7 का प्रथम भाग विचाराधीन था और "भर्ती कार्यवाही" अभिव्यक्ति का प्रभाव विवाद्य नहीं था।

10. पैरा 7 का प्रासंगिक भाग उन रिक्तियों को संदर्भित करता है जिनके लिए भर्ती कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। महत्व के दो पहलू हैं, वे हैं: (1) रिक्ति होनी चाहिए: और (2) भर्ती कार्यवाही पहले ही की जा चुकी होगी। अन्यथा, "जिसके लिए भर्ती की कार्यवाही पहले ही की जा

चुकी है" अभिव्यक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि नियुक्ति प्रासंगिक तिथि से प्रभावी होनी है।

11. के. नारायणन बनाम कर्नाटक राज्य में, [1994 अनुपूरक (1) एससीसी 44] पैरा 6 में यह प्रतिपादित किया गया:

"संविधान का अनुच्छेद 309 उपयुक्त विधायिका को सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। शब्दकोश के अनुसार भर्ती का अर्थ है 'सूचिबद्ध करना'। यह एक व्यापक शब्द है और इसमें किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में शामिल करने के लिए अपनाया गया प्रत्येक तरीका शामिल है। नियुक्ति, चयन, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति आदि सभी भर्ती के चिर परिचित तरीके हैं। यहां तक कि स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति भी अज्ञात नहीं है। परन्तु कोई भी नियम संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है।"

12. विधि एवं तथ्य की दृष्टि से यह अविवादित है कि केवल चयन सूची में सम्मिलित होना उस व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है।

13. "भर्ती कार्यवाही" का अर्थ स्पष्टतः भर्ती के लिए की गई कार्यवाही से है। अतः, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अपोषणीय है एवं अपास्त किया जाता है।

14. खर्चो के बारे में किसी आदेश के बिना अपील सफल होती है।

आर.पी.

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शिखा पुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।